न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 20/2015

प्रविष्टि दिनांक 06.11.2015

1.रामफूल गुर्जर पुत्र श्री उददाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम गेरोटा तहसील दूनी जिला टोंक राज.

.....आवेदक

बनाम

1. लादू पुत्र श्री उददाराम जाति गुर्जर निवासी निवासी ग्राम गेरोटा तहसील दूनी जिला टोंक राज.
2. देवलाल पुत्र श्री उददाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम गेरोटा तहसील दूनी जिला टोंक राज.
3. बन्शी पुत्र श्री उददाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम गेरोटा तहसील दूनी जिला टोंक राज.
4. राधाकिशन पुत्र श्री उददाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम गेरोटा तहसील दूनी जिला टोंक राज. (मृतक)
5. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोंक हाल उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज.

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970

विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 05.03.1997 वाके ग्राम गेरोटा

उपस्थिति : (1) श्री राधेश्याम धाकड़, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक प्रतिपक्षी सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 22/5/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा अपने दिनांक 05.03.1997 को जरिये पत्रावली संख्या 31/97 भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.26 हेक्टर वाके ग्राम गेरोटा तहसील देवली बहक प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 लादू, देवलाल, बन्शी व राधाकिशन पुत्र उददा जाति गूर्जर निवासी ग्राम गेरोटा तहसील देवली जिला टोंक के हक में आवंटन करने का आदेश पारित किया है। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक आवेदक एवं अभिभाषक प्रतिपक्षीगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आवंटन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है कि भूमि पर किस किस व्यक्ति का कब्जा है और बिना मौके की रिपोर्ट तलब किये ही उक्त आवंटन आदेश पारित किया है। आवंटन करने से पूर्व आवेदक को भी उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया और न ही उक्त भूमि को आवंटन करने बाबत कोई उदघोषणा जारी की गई और न ही आवंटन समिति द्वारा उपयोगी व अनुपयोगी भूमि की सूची तैयार करवायी गई और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आवंटन करने का आदेश पारित किया है।

आवेदक व विपक्षी संख्या 1 ता 4 सगे भाई है और एक ही परिवार के सदस्य है तथा शामलाती परिवार में रहते चले आ रहे थे और उक्त भूमि पर सभी भाईयों का उनके पिता के समय से मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। विपक्षीगण ने आवेदक को धोखा देकर तथ्यों को छिपाते हुए आपस में साज करके अपने हक में उक्त आवंटन करवाया है। उपरोक्त आराजी के 1/5 हिस्से पर आवेदक का उसके पिता उददा के समय से मौके पर कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी वह मौके पर अपने हक व हिस्से 1/5 की भूमि को बहैसियत मालिक, स्वामी के काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त आवंटन मौके व तथ्यों के विपरीत विपक्षीगण ने पटवारी हलका से इस भूमि के सम्बन्ध में अपना कब्जा होने की रिपोर्ट करवाकर आवंटन करवाया गया है।

आवेदक हमेशा अपने व्यवसाय हेतु अधिकतर समय बाहर रहता है जिससे विपक्षीगण ने आवेदक के बाहर रहने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि का आवंटन केवल अपने हक में पटवारी, सरपंच आदि से साज करके करवाया है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन आदेश दिनाक 05.03.1997 बाबत भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.26 हैक्टर वाके गाम गेरोटा तहसील देवली बहक लादूलाल, देवलाल, बन्शी, राधाकिशन पुत्र उददा को 1/5 हिस्से की हद तक निरस्त किया जाये एवं उक्त आराजी के 1/5 हिस्से पर आवेदक का कब्जा काश्त होने से उसके हक में आवंटन करवाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जाये।

अभिभाषक प्रतिपक्षीगण ने आवेदक की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा अपने दिनांक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

05.03.1997 को जरिये पत्रावली संख्या 31/97 भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.26 हेक्टर वाके ग्राम गेरोटा तहसील देवली बहक प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 लादू, देवलाल, बन्शी व राधाकिशन पुत्र उददा जाति गूर्जर निवासी ग्राम गेरोटा तहसील देवली जिला टोंक के हक में किया गया आवंटन विधिसम्मत है। उक्त आवंटन से पूर्व सभी नियमों की पालना की गई है। पटवारी हलका से रिपोर्ट भी ली गई है। उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी का ही कब्जा था एवं आवेदक सैनिक होने के कारण भारतीय सेना में कार्यरत था एवं इसी कारण भूमि पर काबिज नहीं था। आवेदक ने भूमि के 1/5 हिस्से पर अपना कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है। आवेदक ने उक्त आवंटन में किस प्रावधान का उल्लंघन किया है, यह वर्णित नहीं किया है। यदि आवेदक का भूमि पर कब्जा था तो आवेदक को आवंटन समिति के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु आवेदक ने आवंटन समिति के समक्ष आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था। प्रतिपक्षी को आवंटन के पश्चात् खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटन दिनांक 05.03.1997 को किया गया था परन्तु आवेदक द्वारा लगभग 18 वर्षों पश्चात् उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इतने वर्षों बाद प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताए है। अतः निवेदन है कि आवेदक का आवेदन मय हर्जाना निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश को यथावत रखा जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा अपने दिनांक 05.03.1997 को जरिये पत्रावली संख्या 31/97 भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.26 हेक्टर वाके ग्राम गेरोटा तहसील देवली बहक प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 4 लादू, देवीलाल, बन्शी व राधाकिशन पुत्र उददा जाति गूर्जर निवासी ग्राम गेरोटा तहसील देवली जिला टोंक के हक में आवंटन किया गया था। आवेदक का कथन हैं कि उक्त भूमि के 1/5 हिस्से पर आवेदक काबिज होकर काश्त कर रहा था, परन्तु आवेदक ने अपना कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये है। यदि आवेदक का भूमि पर कब्जा था तो आवेदक को आवंटन समिति के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु आवेदक ने आवंटन समिति के समक्ष आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था। आवंटन पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट हैं कि आवंटन के समय उक्त भूमि पर प्रतिपक्षीगण का ही कब्जा था। आवंटन दिनांक 05.03.1997 को किया गया था परन्तु आवेदक द्वारा लगभग 18 वर्षों पश्चात् उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

इतने वर्षों बाद प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताए है। आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहकार समिंति द्वारा द्वारा दिनांक 05.03.1997 को प्रतिपक्षी सं0–1 ता 4 को भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.26 हेक्टर वाके ग्राम गेरोटा तहसील देवली का किया गया आवंटन उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 05.03.1997 को प्रतिपक्षी सं0–1 ता 4 को भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.26 हेक्टर वाके ग्राम गेरोटा तहसील देवली जिला टोंक का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,टोंक